यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली के माह 05/2012 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 22.06.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, थराली

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	105.60	98.66	03.01	02.79	-	-
2013-14	-	-	138.90	125.69	04.80	03.85	-	-
2014-15	-	-	160.35	128.07	05.57	03.45	-	-
2015-16	-	-	217.25	156.83	18.68	15.17	-	-
2016-17	-	-	200.33	170.39	20.62	18.92	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2014, 01/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ₹ 15200 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की श्री परमानन्द राम, तहसीलदार के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री परमानन्द राम	तहसीलदार	08/2013	09/2016	38*400=₹15200
योग				₹ 15200

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारी से जी.वी.आर. की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 02.33 लाख की वसूली का लंबित रहना तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 01.07 लाख की कटौती का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 02.33 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 01.07 लाख की कटौतियां नही की गयी थी, जबकि यह धनराशि आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि के साथ ही कटौती की जानी चाहिए थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि	आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2012-13 तक	260954	28924
2013-14 तक	411558	12402
2014-15 तक	177368	47423
2015-16 तक	123324	-13912
2016-17 तक	232726	**107402**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए थी, एवं संग्रह व्यय की धनराशि आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि के साथ ही कटौती की जानी चाहिए थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तरः 03 ₹ 22400 का अनियमित भुगतान किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली के वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में मद संख्या 47- "कम्प्यूटर अनुरक्षण" से संबंधित क्रय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विभिन्न बिलों का भुगतान एक ही फर्म को अनियमित बिल संख्या एवं दिनांक के साथ किया गया, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	बुक संख्या	सीरियल नं0	दिनांक	धनराशि
1.	25	1245	30.01.2013	3200
2.	25	1247	30.01.2013	3200
3.	25	1241	15.08.2013	3200
4.	25	1242	15.08.2013	3200
5.	25	1243	15.08.2013	3200
6.	25	1244	15.08.2013	3200
7.	25	1240	23.05.2014	3200
योग				22400

एक ही फर्म की बुक संख्या 25 से विभिन्न प्रगामी तिथियों पर सीरियल नं0 के आगे पीछे होने के कारण भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जवाब दिया गया कि प्रश्नगत् आपत्ति के संबंध में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार का भुगतान गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री के.एस.नेगी	उपजिलाधिकारी	13.10.2011	10.06.2012
2.	श्री डी.पी.सिंह	उपजिलाधिकारी	10.06.2012	12.12.2012
3.	श्री के.एस. नेगी	उपजिलाधिकारी	12.12.2012	06.04.2013
4.	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	06.04.2013	05.02.2015
5.	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	05.02.2015	18.03.2015
6.	श्री के.एस.नेगी	उपजिलाधिकारी	19.03.2015	03.04.2015
7.	श्री कृष्ण नाथ गोस्वामी	उपजिलाधिकारी	04.04.2015	01.05.2015
8.	श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	02.05.2015	23.07.2015
9.	श्री अनूप कुमार नौटियाल	उपजिलाधिकारी	24.07.2015	09.05.2016
10.	श्री योगेन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी	10.05.2016	14.07.2016
11.	श्री अनूप कुमार नौटियाल	उपजिलाधिकारी	15.07.2016	31.08.2016
12.	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	01.09.2016	10.10.2016
13.	श्री चन्दन सिंह डोबाल	उपजिलाधिकारी	11.10.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, थराली, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र